भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 27A/2017–18

पप्पू देवगम **बनाम** बबलू हाँसदा

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

11-11-17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 840 दिनांक 06.11.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 27 A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता पप्पू देवगम पिता स्व0 नुना देवगम ग्राम–कालाझरना, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने चिकित्सा हेतु क्रेता बबलू हाँसदा, पिता–स्व0 कुजु हाँसदा, ग्राम–छोटा कादल, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
गमदेसाई	154	29	1271	0.06.3ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के परपितामह नुना हो के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता हैं। आवेदिक के हिस्से में 3.10 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.06.3 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.03.70 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'संथाल' एवं 'हो' जो अ0ज0जा0 के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.06.3 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

11/11/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।